[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 10/2017 -सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी, 2017

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2014 की सा.का.नि. 654 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 77/2014-सीमाशुल्क (गै.टै.) में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार में, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट रैंक के सीमाशुल्क अधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, नामत:-

सारणी

सीमाशुल्क अधिकारी	सीमाशुल्क अधिकारी का रैंक जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा
(1)	(2)
प्रधान आयुक्त जिन्हें केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के कार्यालय आदेश सं. 123/2016, दिनांक 17 अक्तूबर, 2016 के तहत मुख्य आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	मुख्य आयुक्त

[फा.सं. 390/रिव्यू/36/2014-जेसी]

(एम.आर.फारूक़ी)

अवर सचिव, भारत सरकार